FORM No. 123

(Order 24 Rule 07/ Order 32 Rule 03)

न्यायालय – अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–02, किशनगढ़, जिला अजमेर।

Date	Orders with initials of P.O. **छीतरमल बनाम मु. लाली देवी वगैरह** **दीवानी वाद संख्या – 23/2023(42/2021)** **सीआईएस संख्या – 42/2021**	Brief note of Compliance of Order
07.11.2024	वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। इस आदेश के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 8 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी दिनांकित 27.03.2024 का निस्तारण किया जा रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र बाबत उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किए कि प्रकरण विवाद बिन्दू निर्धारण होने में नियत है। प्रतिवादीगण जवाब दावे में वर्णित एक मूल स्टांप बेचान इकरारनामा जो सीता देवी ने मीनू देवी के पक्ष में निष्पादित किया है को पेश कर रहे है। अतः उक्त दस्तावेज को रिकोर्ड पर लिया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र का अधिवक्ता वादी की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता अधिवक्ता वादी ने कथन किए कि सीतादेवी प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 12 है, जिसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। प्रस्तुत दस्तावेज वैध दस्तावेज नहीं है क्योंकि मांगीलाल की मृत्यु हो चुकी है तथा उसके तीन लड़कियाँ है, कोई जायन्दा पुत्र नहीं है। प्रतिवादी संख्या 13, 14 व 15 के विरूद्ध भी एकपक्षीय कायर्वाही की जा चुकी है। प्रतिवादी संख्या 14 के द्वारा सहमति का जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रतिवादी संख्या 12, 13 व 15 की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ है। अतः उनका हिस्सा मीनूदेवी को बेचान कर दिया गया, यह किस आधार पर कहा जा सकता है। प्रार्थना पत्र के साथ कोई शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुत इकरारनामा मांगीलाल के समस्त विधिक वारिसान द्वारा निष्पादित नहीं है। मीनू देवी प्रकरण में पक्षकार नहीं है। प्रार्थना पत्र न्यायालय का समय बर्बाद करने के लिए पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किए जाने का निवेदन किया। उभय पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं परिशीलन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेज बेचान इकरारनामा का भी अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र के जरिये प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 ने प्रस्तुत बेचान इकरारनामा जो कि सीता देवी द्वारा मीनू देवी के पक्ष में निष्पादित किए जाने का अंकन किया है जो असल दस्तावेज है उसे रिकोर्ड पर लिए जाने का निवेदन किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 के जवाब दावे में पैरा संख्या 6 में सीतादेवी द्वारा अपना संपूर्ण हिस्सा मीनू देवी को बेचने एवं संभलाने का उल्लेख है, जिससे उक्त दस्तावेज प्रकरण से संबंधित होना प्रकट होता है तथा पक्षकारों के मध्य विवाद के	

न्यायपूर्ण निस्तारण के लिए उक्त दस्तावेज को रिकोर्ड पर लिया जाना न्यायालय को न्यायोचित प्रतीत होता है। वादी अधिवक्ता ने उक्त दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं होने के आधार पर आपत्ति की है परन्तु प्रकरण में साक्ष्य लेखबद्ध नहीं की गई है। उक्त दस्तावेज के साक्ष्य में ग्राह्यता या अग्राह्यता के प्रश्न का विनिश्चय उसके साक्ष्य में पेश किए जाने पर ही किया जा सकता है। वादी इस संबंध में आपत्ति उक्त दस्तावेज के साक्ष्य में प्रतिवादी द्वारा पेश कर प्रदर्शित करवाने पर प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। प्रकरण में अभी विवाद्यक विरचित नहीं किए गए है व पत्रावली विवाद्यक बिन्दू कायम होने के लिए नियत है। पक्षकारान को अपने दस्तावेज वाद पेश करने एवं जवाब दावे के साथ पेश किए जाने होते है परंतु उक्त दस्तावेज जवाब दावे के साथ प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उक्त विलम्ब के लिए प्रतिवादीगण पक्ष पर कोस्ट अधिरोपित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 8 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी 300/– रूपये की कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर उक्त दस्तावेज को रिकोर्ड पर लिए जाने के आदेश दिए जाते है। कोस्ट अदायगी उक्त दस्तावेज को रिकोर्ड पर लेने की पूर्वव्यापी शर्त रहेगी। पत्रावली वास्ते पेश होने संशोधित उनवान एवं कायमी तनकीयात हेतु दिनांक 16.12.2024 को पेश हो।

(शालिनी शर्मा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या–02, किशनगढ़, जिला अजमेर।